बिहार सरकार

राज्य आयुक्त, निःशक्तता का कार्यालय, सिंचाई भवन, पटना।

25.11.11
दैनिक जागरण

सूचना

राज्य आयुक्त, निःशक्तता के कार्यालय के लिए संविदा/आउट सोर्सिंग के आधार पर नियोजन हेतु चालक के सृजित दो पदों में एक अनारक्षित एवं एक अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है।

नियोजन हेतु अनिवार्य योग्यता :-

(1) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **अष्टम् वर्ग** उत्तीर्ण।

(2) उम्मीदवार को स्थानीय नियोजनालय में निबंधित होना आवश्यक होगा।

(3) वाहन चालन का वैध लाईसेंस।

(4) यातायात विनियमन की अच्छी जानकारी।

(5) वाहन की सामान्य जानकारी तथा रख-रखाव की जानकारी।

अभ्युक्ति :- इन पदों के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण बाद में किया जायेगा।

नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा एवं अन्य शर्तें :-

1. संविदा पर नियोजन हेतु न्यूनतम **21 वर्ष** एवं अधिकतम **65 वर्ष** की आयु सीमा होगी।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल एक वर्ष के लिए किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अवधि घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
3. संविदा के आधार पर नियोजित चालक को प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा। नियोजित चालक न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न हीं सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित चालक का नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
4. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन किया जायेगा।
5. नियोक्ता एवं संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले चालक के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा किया जायेगा।
6. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, ड्राईविंग लाइसेन्स एवं अनुभव प्रमाण-पत्र आदि अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. आवेदन मुहरबंद लिफाफा में दिनांक-**15 दिसम्बर 2011, समय-5:00 बजे अपराह्न** तक राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को निबंधित डाक से निश्चित रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। नियत अवधि के बाद प्राप्त/त्रुटिपूर्ण भरे हुए/बिना प्रमाण-पत्र संलग्न किये हुए प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. सरकारी कार्यालय में वाहन चलाने का अनुभव प्राप्त उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।

आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. उम्र (दिनांक-01.12.2011 को)
4. स्थायी पता एवं वर्तमान पता जिस पर पत्राचार किया जा सके।
5. शैक्षणिक योग्यता।
6. कार्य अनुभव।
7. आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण-पत्र।
8. यदि विशेष योग्यता/अनुभव है तो उसका विवरण कार्य अनुभव।
9. आवेदक का हस्ताक्षर।

राज्य आयुक्त, निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सू.ज.स.वि.-8990 (कल्याण) 11-12, बिहार

सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है। धर्म-ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।